न्यायालय सहायक जिलाधीश (एस0डी0ओ0), जालोर

पीठासीन अधिकारी :- श्री चम्पालाल जीनगर आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 :- 12/2019
RCMS Id- 2019/00013

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
ओमकार पुरी पुत्र अर्जुन पुरी कौम गोस्वामी निवासी जालोर तहसील व जिला जालोर		1. रामपुरी पुत्र अर्जुनपुरी गोस्वामी 2. देवपुरी पुत्र अर्जुनपुरी गोस्वामी 3. गोविन्द पुरी पुत्र तोलपुरी गोस्वामी 4. हिन्दपुरी पुत्र तोलपुरी गोस्वामी निवासीगण जालोर तहसील व जिला जालोर 5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जालोर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति अधिवक्ता -

1. **श्री संतोष भारती अभिभाषक प्रार्थी**
2. **श्री संजय खान अभिभाषक अप्रार्थी सं0 2**
3. **श्री दुष्यन्त सुथार अभिभाषक अप्रार्थी 3, 4**

निर्णय

दिनांक :- 23/12/19

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि सरहद मौजा जालोर बी पटवार हल्का लेटा के ख0नं0 5886 रकबा 1.32 हे0, ख0नं0 5887 रकबा 0.02 हे0, खसरा नं0 5888 रकबा 0.0300 हे0, ख0नं0 5889 रकबा 2.69 हे0, में प्रार्थी व अप्रार्थीगण 1 से 4 की शामलाती संयुक्त पुश्तैनी आराजी आई हुई है। उक्त आराजी में प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 व 2 का 1/3 हिस्सा है तथा अप्रार्थी 3 व 4 का उपरोक्त आराजी में 2/3 हिस्सा निहित है। वादग्रस्त भूमि में प्रत्येक खातेदार का मौखिक बंट के अनुसार कब्जा काश्त है। मौखिक बंटवाडा के अनुसार विभाजन किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी अपने हिस्से का राजस्व अभिलेख में विभाजन बाई मिट्स व बाउण्ड करवाने का मुश्तहक है। प्रार्थी के हिस्से में अप्रार्थीगण 1 से 4 दखलन्दाजी नही करे इस हेतु अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थी स्थायी निषेधाज्ञा भी प्राप्त करने का अधिकारी है। अप्रार्थीगण झगडालु प्रवृति के लोग है। जो प्रार्थी के कब्जे काश्त में अनावश्यक दखल करते रहते है तथा किसी अजनबी को बेचान कर देंगे इसलिये प्रार्थी विभाजन का वाद पेश कर रहा है। वाद पत्र व इस प्रार्थना पत्र के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित होता है तथा प्रार्थी को इस वाद में सफल होने की पुरी-पुरी संभावना है। वाद एवं प्रार्थना पत्र के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि का विभाजन नही कर रहे है एवं प्रार्थी को उसकी भूमि से बेदखली करना चाहते है। इन परिस्थितियों में प्रार्थी के कब्जे काश्त में अप्रार्थीगण की दखल को नही रोका गया तो प्रार्थी को भारी क्षति होगी। उसकी पूर्ति कभी भी संभव नही हो सकेगी। लिहाजा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि बहक प्रार्थी बरखिलाफ अप्रार्थीगण 1 से लजायत 4 के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमावे कि प्रार्थना पत्र में वर्णित वादग्रस्त आराजी का बेचान, हस्तान्तरण आदि किसी अन्य को नही करे तथा न ही प्रार्थी को वाद ग्रस्त आराजी से बेदखल ही करे एवं अप्रार्थी सं0 5 तहसीलदार जालोर वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमावे।

सहायक जिलाधीश (एस.डी.ओ.) जालोर

Scanned by CamScanner

अप्रार्थी सं0 1 बावजुद तामील नोटिस के गैर हाजिर रहे, अतः इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में ली गई। अप्रार्थीगण 3 व 4 में जवाब प्रस्तुत किया है कि विवादित आराजी का बाई मिट्स व बाउण्डस बंटवाडा किया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नही है। अलग-अलग बंटवाडा कर अलग-अलग हिस्सा तरमीम किया जाए तो कोई आपत्ति नही है। प्रार्थी किसी भी प्रकार से स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अप्रार्थी 2 ने जवाब पेश किया है कि उक्त खातेदारी आराजी का पूर्व में आपसी सहमति से मौखिक विभाजन हो चुका है तथा अप्रार्थी 2 मौखिक विभाजन के अनुसार आई आराजी पर काबिज है व अनवरत काश्त करता आ रहा है। जिससे वाद में प्रस्तुत जवाबदावा में प्रस्तुत परिशिष्ठ 'अ' में लाल रंग से दर्शाया गया है। प्रार्थी एवं शेष अप्रार्थीगण अपने-अपने हिस्से में आई भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है तो अब पुनः उसी भूमि का पूर्व में हुए मौखिक बंटवाडे के आधार पर अपने-अपने हिस्से में आई भूमि के अनुसार बंटवाडा नही मांगकर बाई मिट्स व बाउण्डस के आधार पर बंटवाडा की मांग करना प्रार्थी के आचरण को संदिग्ध करता है। जबकि सत्यता यह है कि अप्रार्थी सं0 2 देवपुरी जो परिशिष्ट 'अ' में लाल रंग से दर्शित हिस्से की भूमि पर पूर्व में हो रखे मौखिक बंटवाडे के अनुसार काबिज व काश्त है तथा अपने हिस्से में प्राप्त परिशिष्ट 'अ' वाले भाग को जरिये विभाजन प्राप्त करने का अधिकारी है। उक्त भूमि में प्रार्थी व शेष अप्रार्थीगण किसी प्रकार की दखल अंदाजी अथवा बाधा उत्पन्न नही करे। इस हेतु अप्रार्थी संख्या 2 प्रार्थी एवं शेष अप्रार्थी के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है। अप्रार्थी 2 द्वारा कभी अजनबी व्यक्ति को बेचान करने का नही कहा है न दखलन्दाजी की है। प्रार्थी द्वारा अन्य राजस्व भूमि ख0नं0 6119, 6120, 6155 बाबत विभाजन हेतु वाद पेश किया है। प्रार्थी द्वारा केवल मनघडन्त एवं मिथ्याकथनों के आधार पर तथा वादकरण उत्पन्न करने के गलत तथ्यों का उल्लेख किया है। जवाब व प्रार्थना पत्र के तथ्यों के आधार पर प्रार्थी के पक्ष में कोई मामला नही बनता है एव ना ही सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में बनता है। सह खातेदार के विरुद्ध किसी भी प्रकार की अस्थायी पारित नही की जा सकती है न ही उसे अपने हिस्से मे प्राप्त भूमि के उपयोग व उपभोग करने से रोका जा सकता है। इस प्रकार उक्त प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा झूठे एवं मनगढंत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है जिसे खारिज किया जाए।

बहस विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्षें की सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत नकल जमाबंदी संवत् 2071 की फोटो प्रति के अवलोकन के अनुसार विवादित खसरा नम्बर 5886, 5887, 5888, 5889 कुल रकबा 4.0600 हे0 खातेदार रामपुरी, ओमकारपुरी, देवपुरी पि0 अर्जुनपुरी, हिरपुरी, गोविन्दपुरी पि0 तोलपुरी, हीरपुरी, गोविन्दपुरी पि0 तोलपुरी, हीरपुरी, गोविन्दपुरी पि0 तोलपुरी कौम स्वामी के संयुक्त सह खातेदारी की अविभाजित होना दर्ज है। संयुक्त खातेदारी की अविभाजित आराजी में एक सह खातेदार दुसरे खातेदार के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा या अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त नही कर सकता है। फलस्वरूप प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष मे होना नही पाया जाता है। संयुक्त सह खातेदारी की आराजी में सह खातेदारों का संयुक्त कब्जा काश्त है। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में बनना नही पाया जाता है। पक्षकारान अपने हक टाईटल अनुसार संयुक्त खातेदारी में कब्जे काश्त में विवादित भूमि का उपयोग व उपभोग करता है। अतः प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होने का कोई अन्देशा नही है। प्रार्थी द्वारा विवादित आराजी के भौतिक विभाजन हेतु वाद प्रस्तुत कर दिया है। ऐसी स्थिति में पक्षकारान के संयुक्त कब्जे काश्त की वर्तमान स्थिति को ता फैसला मूल वाद के यथावत रखा जाना उचित व न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्राथी का अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप में स्वीकार कर ताफैसला मूल वाद के विवादित आराजी की वर्तमान संयुक्त कब्जे काश्त की मौका स्थिति को यथावत बनाये रखने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 23/12/19 को सुनाया गया।

(चम्पालाल जीनगर आर.ए.एस)
सहायक जिलाधीश
(एसडीओ) जालोर

सहायक जिलाधीश
(एस.डी.ओ.)
जालोर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Champalal Jeengar
Date: 2020.02.07 12:43:25 IST
Reason: SelfAttested
Location: